**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 51 वर्ष 2016-17**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपजिलाधिकारी, धारचूला, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **उपजिलाधिकारी, धारचूला, पिथौरागढ़** के माह **05/2012** से **02/2017** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** द्वारा दिनांक **03.03.2017** से **07.03.2017** तक सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथमलेखापरीक्षा है।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **05/2012** से **02/2017** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **तहसील धारचूला, पिथौरागढ़**
   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10209000 | 9514766 | 0 | 694234 |
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12358338 | 12027374 | 0 | 330964 |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14398000 | 13932336 | 0 | 465664 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17030000 | 15895058 | 0 | 1134942 |
| 2016-17 (02/2017 तक) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21904000 | 17225546 | 0 | - |

(iii) इकाई को बजट आवंटन **<u>राज्य सरकार</u>** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी '**<u>सी</u>**' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

| |
|---|
| मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद् |
| प्रमुख सचिव (राजस्व) |
| सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त |
| आयुक्त कुमाऊ मण्डल |
| अपर सचिव (राजस्व) |
| जिलाधिकारी |
| अपर जिलाधिकारी |
| उपजिलाधिकारी |
| तहसीलदार |
| नायब तहसीलदार |

**(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में ..... को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **<u>उपजिलाधिकारी, धारचूला, पिथौरागढ़</u>** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **12/2013, 03/2014, 03/2015 एवं 03/2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

**(v)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, 14 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-II 'अ'

## शून्य

## भाग-II 'ब'

**प्रस्तर-01 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 10.73 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 1.07 लाख की वसूली का न किया जाना।**

कार्यालय उपजिलाधिकारी, धारचूला, पिथौरागढ़ के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 10.73 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 1.07 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

| वित्तीय वर्ष | आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि | आर.सी. की वसूल की गयी धनराशि पर संग्रह व्यय की अवशेष धनराशि |
|---|---|---|
| 2012-13 तक | 01.81 | 0.18 |
| 2013-14 तक | 01.89 | 0.19 |
| 2014-15 तक | 0.48 | 0.05 |
| 2015-16 तक | **10.73** | **01.07** |

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली का कार्य प्रगति पर है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अन्दर की आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**प्रस्तर-2 ₹ 46.65 लाख के वितरण में प्रक्रिया का पालन नही किया जाना।**

दैवीय आपदा के अन्तर्गत पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए तैयार किये गये तत्सम्बन्धित पी-20 में भवन की फोटोग्राफ अवश्य रुप से लगी होनी चाहिए तथा पंजिका में प्राप्तकर्ता के व कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।

संबन्धित पंजिका की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए धनराशि वितरण के पूर्व संबन्धित पी-20 के साथ भवन के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये गये हैं।

विवरण निम्न है-

| **वर्ष** | **लाभार्थियों की संख्या** | **मद** | **वितरित की गयी धनराशि (₹ में)** |
|---|---|---|---|
| **2014-15** | 14 | गृह निर्माण | 1416000 |
| **2015-16** | 14 | गृह निर्माण | 1424700 |
| **2016-17** | 18 | गृह निर्माण | 1824700 |
| **योग** | **46** | **-** | **4665400** |

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया कि संबन्धित फोटोग्राफ जिला मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पी-20 तहसील से संबन्धित अभिलेख होते हैं, इनका रखरखाव तहसील में ही होना चाहिए।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**प्रस्तर-3 ₹ 685.956 लाख के बजट व्यय का रोकड़बही न बनाया जाना।**

**Central Government Account (Receipts and Payments) Rules-1983** के नियम संख्या 13 (1 से 5) में उल्लेखित वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी कार्यालय एवं संस्था को कार्यालय प्राप्त बजट एवं व्यय के संव्यवहार का रखरखाव रोकड़बही में किया जाना चाहिए जिसके संव्यवहारों का मासिक सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 (02/2017 तक) के वेतन भत्तों, 11-सी पंजिका तथा बजट संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 05/2012 से 02/2017 बजट का आबंटन एवं व्यय किया गया-

**(धनराशि ₹ में)**

| **वर्ष** | **आयोजनागत** | | **आयोजनेत्तर** | |
|---|---|---|---|---|
| | **आवंटन** | **व्यय** | **आवंटन** | **व्यय** |
| **2012-13** | **-** | **-** | 10209000 | 9514766 |
| **2013-14** | **-** | **-** | 12358338 | 12027374 |
| **2014-15** | **-** | **-** | 14398000 | 13932336 |
| **2015-16** | **-** | **-** | 17030000 | 15895058 |
| **2016-17 (02/2017तक)** | **-** | **-** | 21904000 | 17225546 |
| **योग** | | | | **68595080** |

अग्रेतर रोकड़बही हेतु जांच में वर्ष 2012-13 से 2016-17 (01/2017 तक) कुल **₹68595080** के व्यय हेतु रोकड़बही नहीं बनाया गया, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जानकारी के अभाव में कैशबुक का रखरखाव नहीं किया जा रहा था, भविष्य हेतु नोट किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी कार्यालय/संस्था द्वारा कार्यालयी बजट एवं संव्यवहारों का रखरखाव रोकड़बही में न किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## STAN

**प्रस्तर-1 ₹ 60000 का व्ययावर्तन (**Diversion **of Fund)।**

वित्तीय नियमानुसार यदि किसी कार्यालय में निर्धारित मद में बजट प्राप्त होता है तब खर्च भी उसी मद में किया जाना चाहिए, ऐसा न करना वित्तीय नियमों की अवहेलना होती है।
कार्यालय उपजिलाधिकारी, धारचूला, पिथौरागढ़ के बजट पंजिका तथा मदवार खर्च सम्बन्धित बिल वाउचर्स की नमूना जांच में पाया गया कि निर्धारित मद में प्राप्त धनराशि का व्यय अन्य मद में किया गया है। विवरण निम्न है-

| माह | मानक मद में प्राप्त धनराशि | क्रय धनराशि ( ₹ में) | क्रय की गयी सामग्री |
|---|---|---|---|
| 02/2014 | 12- फर्नीचर एवं उपकरण | 60000 | कम्प्यूटर |

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि जानकारी के अभाव में क्रय किया गया, भविष्य के लिए नोट किया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| **इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा** | | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| **इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा** | | | | |

## भाग-IV

# इकाई के सर्वोत्तम कार्य

# शून्य

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **उपजिलाधिकारी, धारचूला, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-** कार्यालय उपजिलाधिकारी, धारचूला के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि माह 12/2013, 03/2014, 03/2015 एवं 03/2016 के व्यय सम्बंधी वाउचर्स लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं है, कराये गये विवरण निम्नवत है-

| दिनांक | वाउचर संख्या | धनराशि (₹ में) |
|---|---|---|
| 18.12.2013 | B20290004 | 4000 |
| 18.12.2013 | B20290005 | 4000 |
| 05.03.2014 | B20290002 | 4270 |
| 19.03.2014 | B20530037 | 1308 |
| 19.03.2014 | B20290039 | 3272 |
| 19.03.2014 | B20290041 | 2466 |
| 20.03.2014 | B20290016 | 631 |
| 21.03.2014 | B20530074 | 4800 |
| 02.03.2015 | B20530002 | 6488 |
| 02.03.2015 | B20530003 | 483 |
| 17.03.2015 | B20290009 | 2000 |
| 17.03.2015 | B20290010 | 4000 |
| 17.03.2015 | B20530036 | 7110 |
| 17.03.2015 | B20530043 | 6400 |
| 25.03.2015 | B20530110 | 2317 |
| 01.03.2016 | B20290001 | 2000 |
| **योग** | | **55545** |

**2.सतत् अनियमितताएः** **<u>शून्य</u>**

**3.लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः**

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यरत समय अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कब से | कब तक |
| 1. | डॉ0 अभिषेक त्रिपाठी | उपजिलाधिकारी | 21.09.2010 | 16.06.2012 |
| 2. | श्री प्रमोद कुमार | उपजिलाधिकारी | 17.06.2012 | 14.01.2015 |
| 3. | श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय | उपजिलाधिकारी | 15.01.2015 | 03.07.2015 |
| 4. | श्री परितोष वर्मा | उपजिलाधिकारी | 03.07.2015 | 28.11.2015 |
| 5. | श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय | उपजिलाधिकारी | 01.01.2016 | 16.09.2016 |
| 6. | श्री राज कुमार पाण्डेय | उपजिलाधिकारी | 10.10.2016 | वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **<u>कार्यालय उपजिलाधिकारी, धारचूला, पिथौरागढ़</u>** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**

**सामान्य क्षेत्र**